



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



"ऑपरेशन कन्विकशन" के क्रम में हत्या करने के आरोपी आस मौहम्मद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई आजीवन कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त आस मौहम्मद पुत्र अली मौहम्मद निवासी ग्राम टयौडी थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2016 में वादी के भतीजे की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 97/2016 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.06.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त आस मौहम्मद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री रविकान्त भारद्वाज एडीजीसी बागपत



है0का0 नीदू कुमार थाना बडौत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



"ऑपरेशन कन्विकशन" के क्रम में हत्या करने के आरोपी अर्जुन उर्फ छोटू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई सश्रम आजीवन कारावास व 20,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त अर्जुन उर्फ छोटू पुत्र नागेन्द्र महतों निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना केतार जनपद गढ़वा झारखण्ड द्वारा वर्ष-2022 में अपने मालिक की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1146/2022 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.06.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अर्जुन उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री रविकान्त भारद्वाज एडीजीसी बागपत



है0का0 पंकज कुमार थाना बडौत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में वादी की पुत्री का अपहरण करने की घटना कारित करने के आरोपी अमजद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष 02 माह का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त अमजद पुत्र इस्तयाक निवासी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 183/2022 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.06.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अमजद को दोषी पाते हुए 04 वर्ष 02 माह के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमजद को धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice



Baghpat Police



श्री नरेंद्र पवार
विशेष लोक अभियोजक



है0का0 रवींद्र कुमार
कोर्ट पेंसकार



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में लूट की घटना कारित करने के आरोपी बाबू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष 02 माह 16 दिन का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2000 में अभियुक्त बाबू पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी से 20,000 रुपये लूटने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 524/2000 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.06.2026 को मा0 न्यायालय सीजे(जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बाबू को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 02 माह 16 दिन के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice



Baghpat Police



ए.पी.ओ. श्रीमती
मिमलेश देवी



का0 आदित्य थाना
बागपत कोर्ट पेंसकार



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में धोखाधड़ी करने की घटना कारित करने के आरोपी साजिद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त साजिद पुत्र मौ0 असलम निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा धोखाधड़ी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 07/2024 धारा 420/468/504/506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.06.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त साजिद को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उपरोक्त अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त साजिद को धारा 420/506/504 भादवि व 67ए आईटी एक्ट में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



अभीराम गौतम एपीओ बागपत



का0 सुनील कुमार कोर्ट पुरोकार

@baghatpolice

baghatpolice

Baghat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 02.06.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 106/26 धारा- 137(2) 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट मे वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.स. 106/26 धारा - 137(2),65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट वांछित अभियुक्त परवेश पुत्र विजय को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना छपरौली पुलिस द्वारा दिनांक 12-05-2026 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

परवेश पुत्र विजय निवासी राजपुर मोमीन थाना सरधना जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.म0उ0नि0 रविन्द्री श्योराण थाना छपरौली ।
- 2.का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली ।
- 3.रि0का0 378 सचिन कुमार उपाध्याय थाना छपरौली ।



**प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बड़ौत**

दिनांक 02.06.2026

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 172/26 धारा 87/137(2) बी.एन.एस से सम्बन्धित 02 अपहृताओं को सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस थाने के मु0अ0सं0 172/26 धारा 87/137(2) बी.एन.एस से संबंधित 02 अपहृताओं को दिनांक 28.05.2026 को सकुशल बरामद किया गया है एवं दिनांक 29.05.2026 को उपरोक्त अपहृताओं के बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार चौधरी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-म0का0 864 शैली मोरल थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3-का0 399 राहुल चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत।

4-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत जनपद बागपता



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दि0 02.06.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 372/26 धारा 191(2),191(3),333,110,115(2),351,352 बीएनएस से सम्बंधित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.05.2026 को थाना बडौत पर वादी श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र जल सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.रोहित पुत्र सुल्तान, 2.बिटटू पुत्र सुल्तान, 3.अमरिता पत्नी बिट्टू, 4.उमंग पुत्र बिटटू, 5.अन्नु पुत्र तरसपाल, 6.गुलवीर पुत्र महक



सिंह निवासीगण ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर लाठी डण्डे सरिया आदि से वादी के पुत्र अंकित के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, शोर सुनकर बचाने आयी वादी की पुत्रियों प्रिया , शिवानी ,मानसी के साथ भी मारपीट की तथा प्रिया के सिर में सरिये से वार किया , जिससे वह बेहोश हो गई तथा मौके पर आये वादी व वादी के भाई के साथ भी मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 372/26 धारा 191(2),191(3),333,110,115(2),351,352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु बताया जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 372/26 धारा 191(2),191(3),333,110,115(2),351,352 बीएनएस से सम्बंधित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त रोहित की निशांदेही पर अभियोग की घटना में प्रयुक्त डण्डे को बावली नहर पटरी के पास झाड़ियो से बरामद किया गया है।

उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बडौत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी- दिनांक 02.06.26 को समय करीब 11.10 बजे नहर पुल बावली झाल से

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- रोहित पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-बिटू उर्फ अमित पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-उमंग पुत्र बिटू निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 डण्डा बरामद (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 820 अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 358 बन्टी रावल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- है0का0 361 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 02.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 360/2026 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई मोटोसाइकिल बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 01.06.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री साहिब पुत्र मुस्तफा निवासी मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटर साईकिल नं० HR 10 AL 1495 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 360/2026 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० मु०अ०सं० 360/2026 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई मोटरसाईकिल रजि० नं० HR 10 AL 1495 हीरो स्प्लेंडर प्लस बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवा पुत्र राकेट निवासी माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

- चोरी की हुई मोटरसाईकिल रजि० नं० HR 10 AL 1495 हीरो स्प्लेंडर प्लस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० उ०नि० श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-का० 816 सोकेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-मय का० 250 कोमल चौधरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

